मुकदमा नम्बर 21/2022

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार	1. विमलाकंवर W/. राजेन्द्र कुमुपोल जाति जैन
जरिये भूमिधारी	2. श्यामसुंदर लालचंद पि. कन्हैयालाल कमात
तहसीलदार रायपुर	3. सुशीलादेवी W/o गौतमचंद लोढ़ा जैन
	जाति.................निवासी रायपुर

....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरूस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी विमला[illegible] श्यामसुंदर लालचंद पि. कन्हैयालाल [illegible] निवासी रायपुर के नाम से ग्राम रायपुर-II पटवार मंडल रायपुर-II तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरूस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का रायपुर-II एवं भू अ.नि. रायपुर-II की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुध्दि के आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज०)

फर्दमौका

आज दिनांक 01.4.2022 को ग्राम रायपुर-II के खसरा संख्या 1693, 1693/1, 1693/4 रकबा [illegible] किस्म बारानी अव्वल खातेदार विमलाकंवर, श्यामसुंदर, लालचंद, सुशीलादेवी कौम .... का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है।

नजरीनक्शा

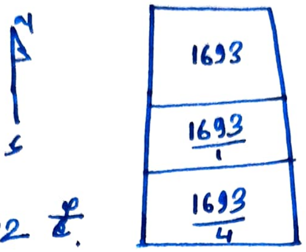

← वर्तमान तरमीम जो गलत है।

1693 रकबा 0.1942 हे.
1693/1 रकबा 0.1214 हे.
1693/4 रकबा 0.0971 हे.

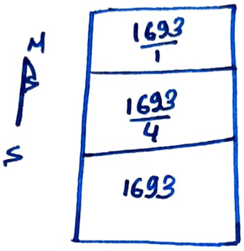

← सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका /नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुध्दि प्रस्तावित है।

संलग्न–1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

① विमला कंवर — विमला कंवर
② श्यामसुंदर — श्याम सुन्दर
③ लालचंद — लाल चन्द
④ सुशीलादेवी — सुशीला

[signature] पटवारी रायपुर-II
हस्ताक्षर पटवारी

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का रायपुर-II की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर तरमीम किया जाना उचित है।

[signature] रायपुर
हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक

क्रमांक/प्रि.अ./131/22/945 Dt. 01.04.22

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का ......रायपुर-II...... जांच भू अ. नि. ......रायपुर......
के आधार पर तरमीम शुध्दि की अनुशंषा की जातीहै।

तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज०)

आदेश मुकदमा नम्बर 21/2022

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम ......रायपुर द्वितीय...... के खसरा संख्या 1692, 1693, 1693/4 रकबा ......जमाबंदी अनुसार...... की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर पालना कर , पालना प्रस्तुत करें।

Reader
05/4/22

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर